# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

फोन : 0755-2464428, 2466191, फैक्स : 0755-2463742

ई-मेल : it.mppcb@rediffmail.com


क्रमांक 1406/ज.स./प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक : 15.02.2022

## प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं उत्पादन को बन्द करने के संबंध में आम-सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.08.2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 571(ई) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आम नागरिकों, व्यापारियों, ई-कॉमर्स कम्पनीस, उद्योग व व्यापार हेतु पंजीयन/लाइसेंस जारी करने वाली संस्थाओं, कस्टम अथॉरिटीज, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, पंचायतों एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, वितरणकर्ताओं आदि की जानकारी हेतु यह सूचना दी जाती है कि प्रदेश में उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना उक्त सभी की जिम्मेदारी है। अधिसूचना में किये गये प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में **एक जुलाई, 2022 से** निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित किया गया है :-

1. प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड्स,
2. बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक,
3. प्लास्टिक झण्डे,
4. कैंडी स्टिक,
5. आईस्क्रीम स्टिक,
6. सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल,
7. प्लास्टिक प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे,
8. स्वीट बाक्स/निमंत्रण पत्र/सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म
9. प्लास्टिक स्टिर्रस एवं
10. 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर।

सर्वसंबंधितों को यह अवगत कराया जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर लागू किये गये प्रतिबंध को प्रभावशील बनाने हेतु हरसंभव कार्यवाही की जाये। सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माता यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा निर्मित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम का भंडारण, वितरण, विक्रय, उपयोग **30 जून, 2022 के** पश्चात नहीं हो। व्यापारी व ई-कॉमर्स कम्पनीस प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यापार नहीं करें। नगरीय निकाय व उद्योग एवं व्यापार हेतु पंजीयन/लाइसेंस/अभिस्वीकृति जारी करने वाली अन्य संस्थाएं उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन/लाइसेंस/अभिस्वीकृति में आवश्यक संशोधन जारी करें, ताकि उपरोक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके।

म.प्र. माध्यम/103720/2022 **सदस्य सचिव**